

**धारा 9 : विवरणियां, संदाय और प्रतिदाय**

- (1) माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति करने वाला प्रत्येक कराधेय व्यक्ति –
- (क) इस अधिनियम के अधीन यथा संदेय उपकर की रकम का संदाय ऐसी रीति में करेगा;
  - (ख) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियों के साथ ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा; और
  - (ग) ऐसे संदत्त उपकर के प्रतिदाय के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में करेगा, जो विहित किया जाए।
- (2) विवरणियों के प्रस्तुत किये जाने और प्रतिदायों का दावा करने के सभी प्रयोजनों के लिए, फाइल किए जाने वाले प्ररूप के सिवाय, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध, यथाशक्य, माल या सेवाओं या दोनों की सभी कराधेय पूर्तियों पर धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी पूर्तियों पर केन्द्रीय कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
-